बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

BIADA

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website www.biadabihar.in, Email -www.biada-bih@gov.in Phone/ Fax : 0612-2675352/ 2675296/ 2675889

दिनांक ....

पत्रांक....................

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
बियाडा, पटना।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय प्रभारी, /विकास पदाधिकारी
पटना/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय

विषय– **माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु सूचना प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के आदेश के अनुपालन हेतु प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है। अपने अधिनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में सूचना प्रकाशन कर संबंधित इकाईयों को सूचित करना चाहेंगें।

विश्वासभाजन

ह0/–

कार्यपालक अभियंता,
बियाडा, पटना।
दिनांक–[illegible]

ज्ञापांक–[illegible]

प्रतिलिपिः–कार्यकारी निदेशक, पटना/कार्यकारी निदेशक, मुजफ्फरपुर/कार्यकारी निदेशक, दरभंगा/ कार्यकारी निदेशक, भागलपुर/ आई0 टी0 शाखा, बियाडा पटना संलग्न प्रारूप को प्राधिकार के बेब साईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।

[illegible]

कार्यपालक अभियंता
बियाडा, पटना

BIADA

BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

आवश्यक सूचना

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के आलोक में Non- recyclable plastic को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अन्तर्गत अवस्थित ऐसे ईकाई जो प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्सर्जन करते है, वैसे संबंधित इकाई एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद यथा थर्मोकोल से बने प्लेट, कप, ग्लास, चम्मच, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, पानी का पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झण्डे, बैनर, ध्वज पट्ट इत्यादि को प्रतिबंधित किये जाने तथा प्रतिबंधों का उल्लंघन किये जाने पर दण्ड लगाये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य सरकार का निर्णय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अधिसूचना संख्या–406 (ई) दिनांक–16 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया है, एवं दिनांक 18.06.2021 को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित हो चुका है।

इसके आलोक में एकल उपयोग वाले उक्त प्लास्टिक/प्लास्टिकयुक्त उत्पादों का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग, अधिसूचना के बिहार के राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि के 180 दिनों बाद अर्थात् 15 दिसम्बर, 2021 से पूर्णतः प्रतिबंधित हो जायेगा।

बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत सभी उद्यमियों को सूचित किया जाता है कि 15.12.2021 से प्रतिबंधित होने वाले उक्त प्लास्टिक/प्लास्टिकयुक्त उत्पादों का निष्पादन गजट प्रकाशन की तिथि के 180 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाय एवं उक्त तिथि के उपरांत इस आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति/संस्था, प्रावधन के तहत दण्ड के भागी होंगें।

कार्यकारी निदेशक।

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004
Website : www.biada.in: Email : biada-bih@gov.in
Ph :- 0612-2675002/2675991/Fax 0612-2675889